



2026:AHC:14348

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 45373 वर्ष 2025

शिवदयाल निषाद

.....आवेदक

बनाम

उ० प्र० राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता	:	समीक्षा चतुर्वेदी, सौरभ चतुर्वेदी
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादीगण के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पुनीत कुमार सिंह को सुना गया, तथा अभिलेख का परिशीलन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन तहत धारा 483 भा०न०सु०सं० अभियुक्त-आवेदक शिवदयाल निषाद की ओर से थाना राजापुर, जिला चित्रकूट में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34, 419, 420, 465, 467, 468, 471 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-C एवं 66-D के अधीन पंजीकृत वाद अपराध संख्या 2025 का 115 में जमानत पर रिहाई की याचना के साथ दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस वाद अपराध संख्या में झूठा आलिप्त किया गया है और दिनांक 16.05.2025 से वह कारागार में निरुद्ध है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्तगण जितेन्द्र कुमार, राहुल पाण्डेय, सन्दीप पाण्डेय, सुरेन्द्र सिंह, शिवबाबू, मोहम्मद नौफिल एवं ओमप्रकाश अग्रहरि उर्फ टिटू अग्रहरि को इस न्यायालय तथा इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 34223 वर्ष 2025, 25168 वर्ष 2025, 34329 वर्ष 2025, 35347 वर्ष 2025, 37296 वर्ष 2025, 34949 वर्ष 2025 एवं का 25095 वर्ष 2025 में क्रमशः दिनांक 27.11.2025, 25.09.2025, 27.11.2025, 27.11.2025,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18.11.2025, 13.11.2025, 31.10.2025 एवं 25.09.2025 को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है और जमानत पर रिहाई की दशा में उसके न्याय की प्रक्रिया से फरार होने या साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः जमानत की याचना की गई है।

प्रतिविपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचना का विरोध किया है, किन्तु यह प्रस्तुत किया है कि समान परिस्थितियों वाले उपरोक्त सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।

उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दण्ड की गम्भीरता, पुष्टिकर साक्ष्य की प्रकृति, गवाह से छेड़छाड़ की युक्तियुक्त आशंका और प्रथम दृष्टया मामले पर विचार करते हुए, किन्तु मामले के गुणागुण पर कोई टिप्पणी किये बगैर, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन अनुमत किया जाता है।

उपर्युक्त वाद अपराध संख्या में संलिप्त अभियुक्त-आवेदक **शिवदयाल निषाद** को सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर वैयक्तिक बन्धपत्र एवं समान राशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये:-

1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा तय की गई प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाये।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में अधीनस्थ न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्रवाई करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

(न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव)

20 जनवरी, 2026

विनोद

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।